FORM NO-III

फार्म अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम–रूपनगढ़, जिला–अजमेर

रणवीर सिंह बनाम मोतीराम

किस्म मुकदमा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम नम्बर– 46 वर्ष–2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.07.2025	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर वकील श्री विमल किशोर तिवाड़ी ने अन्तर्गत धारा–212 रा0 का0 अधि0 के तहत पेश किया । प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 03.09.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)	
3-9-25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1,2 की ओर से वकील श्री जितेन्द्र प्रजापति उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 से 3 के नोटिस तामीलशुदा प्राप्त। उभयपक्ष अधिवक्तागण ने मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु सहमति जाहिर की, जिस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पालड़ी भोपतोतान के ख.नं. 457/263 रकबा 6.5609 हैक्टर भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 से 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)	मौके की यथा स्थिति रखी जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है (हस्ताक्षर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kumar Tada
Date: 2025.12.09 15:48:37 IST
Reason: SelfAttested